सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 07.07.2026

चोपन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित ₹20,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में जनपद में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) **श्री अनिल कुमार** एवं क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर कुमार मिश्रा** के पर्यवेक्षण में थाना चोपन पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 07.07.2026 को समय करीब 09:10 बजे थाना चोपन पुलिस टीम द्वारा **बस स्टैंड, चोपन** से राजबीर सिंह पुत्र महिपाल सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी सादात नगर, थाना नैटोर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त **मु0अ0सं0 1039/2025, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना राबर्ट्सगंज**, जनपद सोनभद्र में वांछित चल रहा था। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी हेतु **पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र द्वारा ₹20,000 का पुरस्कार घोषित** किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजबीर सिंह पुत्र महिपाल सिंह
उम्र लगभग 40 वर्ष
निवासी सादात नगर, थाना नैटोर, जनपद बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 1039/2025, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0 246/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 मनोज सिंह, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
3. हे0का0वीरेंद्र सरोज, हे0का0 रिज़वान साह, का0 वरुण पाण्डेय, का0 शिवम सरोज, का0 विकास कुमार थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।